प्रकरण मे सामग्री की टेस्ट रिपोर्ट विक्रेता के द्वारा सूर्या कंपनी की प्रस्तुत किये जाने के उपरांत ही राशि का भुगतान नियमानुसार किया गया है तथा प्रकरण मे सामग्री का स्पेसिफिकेशन जैम पोर्टल बीड में ऑनलाईन अपलोड है तथा सामग्री संपूर्ण तकनीकी परीक्षण अमले के द्वारा परीक्षण किये जाने के उपरांत किया गया है तथा निकाय मे लेखा वित्त विभाग के द्वारा संपूर्ण परीक्षण करने और स्थानीय आवासीय ऑडिटर से देयकों का पूर्ण निरीक्षण व परीक्षण विधि अनुसार करवाया गया है और इसके उपरांत ही बिलों का भुगतान किया गया है तथा मेरे द्वारा सामग्री क्रय किये जाने मे किसी प्रकार का आर्थिक लाभ प्राप्त करने तथा निकाय को आर्थिक हानि पहुंचाने का कृत्य नहीं किया गया है।"

विवेचना–09

आरोप में अध्यक्ष श्री शफीक खान को नगर पालिका परिषद, सिवनी में विद्युत सामग्री क्रय हेतु निविदा आमंत्रण में नियमों में वर्णित प्रावधान का पालन नहीं करने तथा प्रचलित बाजार दर से अधिक दर पर विद्युत सामग्री का क्रय कर निकाय को आर्थिक हानि पहुंचाने के लिये आक्षेपित किया गया है।

अधिरोपित आरोप के संबंध में श्री शफीक खान द्वारा प्रस्तुत प्रतिवाद उत्तर तथा सुनवाई दिनांक 02.01.2025 को प्रस्तुत लिखित अभ्यावेदन का नियमों के प्रकाश में परीक्षण किया गया।

श्री शफीक खान द्वारा अपने प्रतिवाद उत्तर मे उल्लेख किया गया है कि आवश्यकतानुसार विद्युत सामग्री की मांग आने पर सामग्री क्रय की स्वीकृति प्रेसीडेंट–इन–काउंसिल के संकल्प क्रमांक 10, दिनांक 29.09.2023 से प्रदत्त न्यूनतम दर की स्वीकृति के आधार पर सामग्री क्रय की कार्यवाही की गई है, उनके द्वारा अभ्यावेदन के साथ प्रेसीडेंट–इन–काउंसिल के प्रस्ताव क्रमांक–10, दिनांक 29.09.2023 की प्रति प्रस्तुत की गई है, जिसमें विद्युत सामग्री मरम्मत, संधारण के कार्यों में लगने वाली विभिन्न विद्युत सामग्री की न्यूनतम दर स्वीकृत किये जाने का उल्लेख है प्रस्ताव में क्रय की अनुमानित लागत एवं न्यूनतम दर क्या है, न्यूनतम निविदाकार कौन है, आदि का कोई उल्लेख नहीं है। उनके द्वारा अपने प्रतिवाद उत्तर में विद्युत सामग्री क्रय किये जाने की स्वीकृति परिषद के विशेष सम्मेलन दिनांक 18.05.2023 को पारित प्रस्ताव क्रमांक 23 से प्राप्त किये जाने का उल्लेख किया गया है, किन्तु परिषद संकल्प की प्रति संलग्न नहीं की गई है। श्री शफीक खान द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन एवं प्रतिवाद उत्तर में न्यूनतम दरों का निविदा समिति द्वारा अनुशंसा किये जाने का उल्लेख तो किया गया है, किन्तु 5 लाख से अधिक राशि की सामग्री क्रय के संबंध में मध्यप्रदेश शासन सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग, मंत्रालय भोपाल के आदेश क्रमांक एफ–9–20/2021/अ–73, दिनांक 13.01.2023 में उल्लेखित प्रावधानों तथा मध्यप्रदेश नगर पालिका (वित्त एवं लेखा) नियम, 2018 में वर्णित प्रक्रियाओं का अनुपालन नहीं किये जाने के संबंध में कोई तथ्यात्मक जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है।

यह सही है कि निविदा प्रक्रिया नियमों में वर्णित प्रावधानों तथा निर्देशों के अनुरूप हो, यह सुनिश्चित करने का दायित्व मुख्य नगर पालिका अधिकारी, उपयंत्री एवं सहायक यंत्री का है तथा प्रक्रिया का पालन करने के लिये उक्त अधिकारी/कर्मचारी पूर्णतः उत्तरदायी हैं, किन्तु अध्यक्ष को भी निकाय के वित्तीय तथा कार्यपालक प्रशासन पर निगरानी का दायित्व सौपा गया है, उनसे अपेक्षा की जाती है कि वे नियमों की जानकारी अधिकारियों से ले तथा पालन करवायें।

सम्पूर्ण प्रकरण के अवलोकन से परिलक्षित होता है कि सामग्री का क्रय निर्माता कम्पनी या अधिकृत प्रदायकर्ता के माध्यम से न किया जाकर सीधे ऐसे प्रदायकर्ताओं से किया गया है, जो न तो निर्माता हैं और न ही किसी निर्माता कम्पनी के प्राधिकृत विक्रेता हैं। क्रय की गई समाग्री निर्धारित मानकों के अनुरूप है या नहीं इसका भी परीक्षण किया जाना अभिलेखों में नहीं पाया गया है। मनमाने ढंग से प्रचलित बाजार दर से अपेक्षाकृत अधिक दर पर नियमों में वर्णित

प्रक्रिया का उल्लंघन करते हुये सामग्री क्रय की गई है, जिससे नगर पालिका परिषद सिवनी को लगभग राशि रूपये 4,82,565/– की आर्थिक क्षति हुई है।

उल्लेखनीय है कि मध्यप्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1961 की धारा 51 में नगर पालिका अध्यक्ष के कर्तव्य एवं दायित्व निर्धारित किये गये हैं, जिसमें परिषद की वित्तीय एवं कार्यपालक प्रशासन की निगरानी का दायित्व भी अध्यक्ष को सौपा गया है। अध्यक्ष के रूप में श्री शफीक खान द्वारा अधिनियम में वर्णित दायित्वों का पालन विधि अनुकूल नहीं किया गया है, जिससे निकाय में उपरोक्तानुसार गंभीर वित्तीय अनियमितताएं कारित हुई हैं, उनका यह कृत्य मध्यप्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1961 की धारा 51 के विपरीत पाया गया है तथा उक्त कृत्य के लिये वे नगर पालिका परिषद, सिवनी के अधिकारियों तथा कर्मचारियों के साथ–साथ उत्तरदायी पाये जाते हैं। श्री शफीक खान के विरूद्ध उक्त अधिरोपित आरोप आंशिक रूप से प्रमाणित पाया जाता है।

आरोप क्रमांक–10

यह कि उक्त पदावधि के दौरान नगरपालिका परिषद, सिवनी द्वारा विभिन्न कार्यों में संलग्न लगभग 50 वाहन, जो 2021 की तुलना में कुछ अधिक है, में मरम्मत तथा ईधन पर होने वाले व्यय में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है।

वर्ष 2021 में नगर पालिका परिषद, सिवनी द्वारा वाहन मरम्मत में कुल व्यय रूपये 21,93,702/– था। आपके पदभार ग्रहण करने के पश्चात वर्ष 2022 में वाहनो की मरम्मत पर व्यय बढकर रूपये 32,86,627 तथा वर्ष 2023 में रूपये 33,44,985 हो गया। मरम्मत पर हुये व्यय की वृद्धि के अवलोकन से परिलक्षित होता है कि वर्ष 2021 की तुलना में वर्ष 2023 में वाहन मरम्मत व्यय में लगभग 50 प्रतिशत की अप्रत्याशित वृद्धि हुई है, जबकि वाहनों की संख्या में इस अनुपात में वृद्धि बहुत कम है। इसी प्रकार वर्ष 2021 में वाहनों में उपयोग होने वाले ईधन का व्यय रूपये 112.67 लाख था, जो वर्ष 2022 में बढ़कर 201.80 लाख तथा वर्ष 2023 में रुपये 217.23 लाख हो गया है। वर्ष 2021 की तुलना में वर्ष 2022 में डीजल एवं पेट्रोल मद पर किए जाने वाले व्यय में 79 प्रतिशत तथा वर्ष 2023 में 92 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि होना पाया गया है, जो अप्रत्याशित रूप से बहुत अधिक है।

जांच में वाहनो के मीटर बंद पाये गये हैं। लॉग बुक में मीटर रीडिंग अंकित होना नहीं पाया गया है। बंद वाहनों पर भी डीजल/पेट्रोल की खपत बताई गई है। जांच में यह तथ्य भी प्रकाश में आया है कि शासकीय यात्रा के नाम पर कुछ निजी वाहनों में भी डीजल/पेट्रोल डलवाया गया है, जिससे डीजल/पेट्रोल व्यय में अप्रत्याशित रूप से वृद्धि हुई है।

जांच समिति के समक्ष निकाय के अधिकारियों द्वारा वर्ष 2021 की तुलना में वर्ष 2022 एवं 2023 में ईंधन खपत में अप्रत्याशित वृद्धि के संबंध में कोई समाधान कारक जवाब नहीं दिया गया है। जांच प्रतिवेदन से ऐसा परिलक्षित होता है कि बंद पड़े वाहनो पर भी ईंधन खपत दिखाया गया है तथा अनियमित रूप से निजी वाहनों पर नगर पालिका से डीजल/पेट्रोल प्राप्त किया गया है, जो गंभीर अनियमितता की श्रेणी में आता है, जिसके लिए निकाय के अधिकारियों/कर्मचारियों के साथ–साथ आप भी उत्तरदायी प्रतीत होते है।

प्रतिवाद उत्तर–10

अधिरोपित आरोप के संबंध में श्री शफीक खान, अध्यक्ष, नगरपालिका परिषद सिवनी द्वारा प्रस्तुत प्रतिवाद उत्तर निम्नानुसार है :–

"वास्तविक तथ्य यह है कि नगर पालिका परिषद, सिवनी मे एन.टी. वर्कशॉप होता है और उसका देख रेख संबंधित कर्मचारी के द्वारा किया जाता है तथा इसके लिये सतीश कोल्हाडे नामक व्यक्ति नियुक्त है तथा मध्य प्रदेश शासन के द्वारा राजपत्र दिनांक 17 दिसम्बर 2016 के नियम 165 (1) मे नगर पालिकाओ की दिन प्रतिदिन की गतिविधियों के लिये आवर्ती व्यय का भुगतान करने के लिये इलेक्ट्रोनिक फण्ड ट्रांसफर के लिये

आवश्यक चेक एवं दस्तावेज पर मुख्य नगर पालिका अधिकारी एवं लेखा एवं वित्त विभाग के प्रमुख द्वारा सयुंक्त रूप से हस्ताक्षरित किये जायेंगें तथा दिन प्रतिदिन की गतिविधि को चलाने के लिये राजस्व व्यय मे शामिल है। जिसके च एवं छ पर मरम्मत एवं रख–रखाव व वाहन व्यय को भी उल्लेखित किया गया है चूकि मेरे स्वयं के द्वारा कोई भी वाहन अपने उपयोग के लिये नगर पालिका से प्राप्त नहीं किया गया है और मै स्वयं पैदल ही अपने निवास स्थान से नगर पालिका परिषद के कार्य को संपादित करने आता हूँ तथा वाहन के रख रखाव व मरम्मत व ईधन से मेरा कोई प्रत्यक्ष या परोक्ष संबंध नहीं है। ऐसी स्थिति में यदि वाहन शाखा मे कोई मरम्मत या ईधन पर राशि व्यय हो रही हो तो इसके लिये मुझे उत्तरदायी नही ठहराया जा सकता है तथा शासन के नियमानुसार इस संबंध मे नगर पालिका के मुख्य नगर पालिका अधिकारी एवं वित्त एवं लेखा के अधिकारी ही इसका स्पष्टीकरण दे सकते है क्योकि उक्त मरम्मत व्यय एंव डीजल पेट्रोल खरीदी के किसी भी आदेश या निर्देश पर मेरे कोई हस्ताक्षर या अनुमोदन नही है।"

विवेचना–10

अधिरोपित आरोप के संबंध में श्री शफीक खान अध्यक्ष, नगर पालिका परिषद सिवनी द्वार प्रस्तुत प्रतिवाद उत्तर तथा अभ्यावेदन का अवलोकन किया गया। वाहनों के डीजल/पेट्रोल आवटन क कार्य मुख्य नगर पालिका अधिकारी के अधीन होता है। वाहनों के मरम्मत व्यय की निगरानी त्था लॉगबुक संधारण का दायित्व मुख्य नगर पालिका अधिकारी एवं संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों का है।

आरोप के संबंध में श्री शफीक खान द्वारा प्रस्तुत प्रतिवाद उत्तर समाधानकारक प्रतीत होता है, उनके विरूद्ध आरोप प्रमाणित नहीं पाया जाता है।

आरोप क्रमांक–11

"यह कि उक्त पदावधि के दौरान आपके द्वारा आयोजित पी.आई.सी. एवं परिषद की बैठकों में मनमाने ढंग से वित्तीय एवं प्रशासकीय अधिकारों की सीमा से परे जाकर अनियमित रूप से प्रस्ताव रखे गए हैं तथा पारित कराये गये हैं। पी.आई.सी. एवं परिषद की बैठकों में मध्यप्रदेश नगर पालिका (मेयर–इन–काउंसिल/प्रेसिडेंट–इन–काउंसिल के कामकाज का संचालन तथा प्राधिकारियों की शक्तियों एवं कर्त्तव्य) नियम, 1998 एवं मध्यप्रदेश नगर पालिका (कामकाज के संचालन की प्रक्रिया) नियम, 2005 में वर्णित प्रक्रिया, प्रावधानों का खुला उल्लंघन किया गया है, जिसके लिए निकाय के अधिकारियों के साथ–साथ आप भी उत्तरदायी प्रतीत होते है।"

प्रतिवाद उत्तर–11

अधिरोपित आरोप के संबंध में श्री शफीक खान, अध्यक्ष, नगरपालिका परिषद सिवनी द्वारा प्रस्तुत प्रतिवाद उत्तर निम्नानुसार है :–

"वास्तविक तथ्य यह है कि मेरे द्वारा मध्यप्रदेश नगर पालिका (मेयर–इन–काउंसिल/प्रेसिडेंट–इन–काउंसिल के कामकाज का संचालन तथा प्राधिकारियों की शक्तियों एवं कर्त्तव्य) नियम, 1998 एवं मध्य प्रदेश नगर पालिका (कामकाज के संचालन की प्रक्रिया) नियम, 2005 में वर्णित प्रक्रिया प्रावधानों के अंतर्गत पार्षदों की मांग और नगर की जनता और काम काज को लेकर आवश्यकता अनुसार ही बैठके आयोजित करवायी गयी है तथा कोई भी बैठक विधि विरूद्ध नही हो सकती है, क्योंकि परिषद में बैठक के पूर्व प्रस्ताव आहूत किये जाते है तथा आवश्यक प्रस्ताव को लेख करने के उपरांत बैठक आयोजित की जाती है तथा यदि कोई प्रस्ताव विधि विरूद्ध है तो अवश्यक ही विपक्षी या प्रस्ताव का विरोध करने वाले पार्षदों के द्वारा इस संबंध में प्रस्ताव बैठक पंजी मे उल्लेखित किया जाता है तथा उक्त नियमों एवं अधिनियमों के अंतर्गत बैठको की कोई

संख्या निर्धारित नहीं है तथा निकाय के सुचारू रूप से कृत्यो को संपादित करने के लिये अवश्यक होने पर ही बैठके आयोजित की जाती है, तथा उन्हे विधि विरूद्ध होना नहीं माना जा सकता है।"

विवेचना–11

अधिरोपित आरोप के संबंध में श्री शफीक खान, अध्यक्ष नगर पालिका परिषद, सिवनी द्वारा प्रस्तुत प्रतिवाद उत्तर तथा सुनवाई के दौरान प्रस्तुत अभ्यावेदन का अवलोकन किया गया। श्री शफीक खान द्वारा प्रस्तुत प्रतिवाद उत्तर में परिषद या प्रेसीडेंट–इन–काउंसिल का नियम विरूद्ध सम्मेलन आयोजित करने तथा किसी भी सम्मेलन में क्षेत्राधिकार के परे निर्णय लिये जाने के आरोपों को अस्वीकार किया गया है। जांच प्रतिवेदन में भी इस संबंध में कोई प्रमाणिक तथ्य नहीं लिये गये हैं। प्रमाणों के अभाव में श्री शफीक खान के विरूद्ध अधिरोपित उक्त आरोप प्रमाणित नहीं होता है।

आरोप क्रमांक–12

यह कि आपकी उक्त पदावधि के दौरान प्रायवेट बस स्टैंड में वाहन पार्किंग शुल्क की वसूली हेतु, जो विगत 4 वर्षों से विभागीय तौर पर की जा रही थी, ठेके के माध्यम से लिए जाने का निर्णय परिषद संकल्प क्र. 31, दिनांक 03.03.2023 द्वारा वर्ष 2023–24 के लिये लिया गया।

उल्लेखनीय है कि वर्ष 2019–20 से वर्ष 2022–23 तक बस स्टैंड वाहन पार्किंग वसूली विभागीय तौर पर की जा रही थी, जिसका वर्षवार वसूली का विवरण इस प्रकार है:–

क्र.	वित्तीय वर्ष	राशि(रू.)	अन्य विवरण
1.	2019–20	10,39,260	कोविड–19 के कारण बस बंद होने से वसूली कम हुई
2.	2020–21	2,30,210	निरंक
3.	2021–22	4,95,220	निरंक
4.	2022–23	6,15,640	01 अप्रैल 2022 से 31 दिसम्बर 2022 तक –09 माह

पार्किंग शुल्क वसूली ठेका पद्धति से किये जाने के परिषद निर्णय के तत्काल पश्चात दिनांक 03.03.2023 को ही नगर पालिका परिषद, सिवनी द्वारा निविदा आमंत्रण की सूचना जारी की गई। जारी सूचना अनुसार दिनांक 17.03.2023 शाम 5:00 बजे तक का समय निविदा प्रस्तुत करने हेतु नियत किया गया। निविदा आमंत्रण सूचना अनुसार वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए पार्किंग शुल्क ठेके की न्यूनतम राशि रूपये 21,78,000/– तथा अमानत राशि रूपये 2,18,000/– निर्धारित की गई।

जांच प्रतिवेदन अनुसार प्रथम निविदा आमंत्रण की सूचना किसी भी समाचार–पत्र में प्रकाशित नहीं कराई गई तथा निविदा आमंत्रण की द्वितीय सूचना जारी की गई। उक्त सूचना का प्रकाशन भी नियमों में वर्णित प्रक्रिया अनुसार समाचार–पत्रों में नहीं कराया गया।

जांच प्रतिवेदन अनुसार प्रथम एवं द्वितीय निविदा आमंत्रण में कोई ऑफर प्राप्त नहीं होने से निकाय द्वारा दिनांक 18.04.2023 के माध्यम से अल्पकालीन निविदा सूचना जारी करते हुए दिनांक 25.04.2023 तक प्रस्ताव/ऑफर चाहे गये। उक्त सूचना वित्तीय वर्ष 2023–24 के 11 माह (मई 2023 से मार्च 2024) की अवधि हेतु जारी की गई। अभिलेखों में निविदा सूचना का प्रकाशन नियमों में वर्णित प्रक्रिया अनुसार समाचार–पत्रों में कराये जाने का कोई उल्लेख नहीं है। 11 माह के लिए पार्किंग शुल्क ठेके की न्यूनतम राशि रूपये 19,97,000/– निर्धारित की गई थी।

जारी निविदा अनुसार दो निविदा ऑफर प्राप्त हुये, जिसमें उच्चतम राशि रुपये 8,05,000/– निविदाकार श्री शोएब खान की प्राप्त हुई, जिसकी स्वीकृति पी.आई.सी. के प्रस्ताव क्रमांक 02, दिनांक 28.04.2023 द्वारा प्रदान की गई।

जांच प्रतिवेदन एवं अभिलेखों के अवलोकन से ज्ञात होता है कि बस स्टैंड पार्किंग शुल्क टेके की नीलामी हेतु जारी निविदा सूचना में मध्यप्रदेश नगर पालिका (वित्त एवं लेखा) नियम, 2018 मे वर्णित प्रावधानों का पालन नहीं किया गया है। मध्यप्रदेश नगर पालिका (वित्त एवं लेखा) नियम, 2018 के नियम 91 के उपनियम (1) के खंड (ग) में 10 लाख रुपये से अधिक मूल्य के कार्यों, सामग्रियों एवं सेवाओं के लिए निविदा प्रस्तुत करने की अवधि प्रकाशन के दिनांक से 30 दिवस से कम नहीं होने तथा दूसरी बार यह आगे निविदा पश्चात वृद्धि आमंत्रण में निविदा प्रस्तुत करने की अवधि 15 दिवस होने के प्रावधान वर्णित है।

यही नहीं नियम 91 के नियम (2) में निविदा के दूसरे आमंत्रण के प्रकरण में समय–सीमा को घटाने के अधिकार मध्यप्रदेश नगर पालिका (वित्त एवं लेखा) नियम, 2018 के नियम 239 में प्रदत्त वित्तीय शक्तियों के अनुसार प्राधिकारी को हैं।

आपके द्वारा नियमों में वर्णित उपरोक्त प्रक्रिया का कहीं भी पालन किया जाना नहीं पाया गया है। निविदा प्रक्रिया पूर्णतः दूषित एवं अपारदर्शी रही है। जांच प्रतिवेदन से ऐसा आभास होता है कि जान-बूझकर व्यक्ति विशेष को पार्किंग शुल्क ठेका देने के लिए निविदा प्रक्रिया में नियमों मे वर्णित प्रावधानों का उल्लंघन किया गया है तथा निर्धारित राशि रुपये 19,97,000/– से बहुत कम राशि रुपये 8,05,000/– में पार्किंग शुल्क ठेका की स्वीकृति प्रदान की गई है, जिससे नगर पालिका परिषद, सिवनी को रुपये 11,92,000/– की आर्थिक हानि हुई है, जिसके लिए निकाय के सबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों के साथ–साथ आप भी पूर्ण रूप से उत्तरदायी प्रतीत होते है।"

<u>प्रतिवाद उत्तर–12</u>

अधिरोपित आरोप के संबंध में श्री शफीक खान, अध्यक्ष, नगरपालिका परिषद सिवनी द्वारा प्रस्तुत प्रतिवाद उत्तर निम्नानुसार है :–

"वास्तविक तथ्य यह है कि प्राईवेट बस स्टेण्ड वाहन पार्किंग शुल्क वसूली हेतु चार वर्षों से विभागीय तौर पर वसूली की जा रही थी तथा ठेके के माध्यम से प्राईवेट बस स्टेण्ड वाहन पार्किंग शुल्क का ठेका परिषद के साधारण सम्मेलन दिनॉक 3.3.23 के प्रस्ताव क्रमांक 21 के अनुसार 2023–24 के लिये किये जाने का निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया है तथा वर्ष 2019–20 से 2022–23 तक बस स्टेण्ड वाहन पार्किंग शुल्क विभागीय तौर पर जो वसूली की जा रही थी उसमे बहुत कम राशि प्राप्त हो रही थी, तब परिषद के द्वारा कार्यालयीन पत्र क्र. 3116/रा.शा./न.पा.प./2023 सिवनी दिनांक 03.03.2023 के माध्यम से 20.03.2023 को दोपहर 3 बजे तक मोहर बंद निविदा आमंत्रित की गयी थी तथा निविदा का प्रकाशन स्थानीय समाचार पत्र संवाद कुंज सिवनी में कराया गया था जिसमे यह उल्लेखित था 20.3.24 को उच्चतम निविदा या पर्याप्त निविदा प्राप्त न होने की दशा में 21.03.2023 एवं 24.03.2024 को मोहरबंद लिफाफे में उसी दिन 3 बजे तक प्रस्तुत करने का लेख कर निविदा का प्रकाशन स्थानीय समाचार पत्र संवाद कुज सिवनी में करवाया गया था तथा वित्तीय वर्ष 2023–24 के प्रारंभ होने में समय कम होने से निविदा का प्रकाशन 15 दिवस से कम अवधि का करवाया गया था क्योकि विभागिय वसूली से आमदनी कम हो रही थी तथा वसूली हेतु जो अमला लगाया गया या उसका वेतन व स्टेशनरी खर्च उससे ज्यादा का था इस कारण वाहन स्टेण्ड पार्किंग वसूली का ठेका देने का निर्णय निकाय के हित मे लिया गया तथा प्रथम अमांत्रण मे स्पष्ट रूप से 20.03.2023 की दोपहर 3 बजे तक निविदा प्रस्तुत करने का उल्लेख था और निविदा की शर्त क्रमांक–1, के अनुसार निविदा फार्म लेने की तिथी 17.03.2023 तक के शाम 5 बजे तक की उल्लेखित थी किन्तु उक्त